



भारत की समसामयिक उपलब्धियाँ एवं चुनौतियाँ (एक समीक्षात्मक अध्ययन)

□ डॉ० अशोक कुमार सिंह*

पृष्ठभूमि:— किसी भी देश के स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास उस देश की अमूल्य निधि होता है। उसमें निहित देशभक्तों की सेवा, त्याग और उत्कृष्ट बलिदान की रोमांचक घटनाएँ, उस देश की जनता के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत का कार्य करती हैं तथा एकता एवं देशप्रेम की भावनाओं को प्रबल बनाती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ई० में हुई, जो अत्यन्त लोकप्रिय प्रमाणित हुई। इस संस्था को एक निश्चित स्वरूप प्रदान करने का कार्य एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी ए०ओ० ह्यूम ने किया। इसी कारण ए०ओ० ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्मदाता माना जाता है। डब्लू०सी० बनर्जी आदि अनेक भारतीय नेताओं का विचार था कि ए०ओ० ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना वायसराय लार्ड डफरिन के परामर्श से की थी, ताकि भारत में व्याप्त असन्तोष को विद्रोह के रूप में परिणत होने से बचाया जा सके। लाला लाजपत राय ने इसी प्रकार के विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि, “भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य कारण यह था कि ह्यूम अंग्रेजी साम्राज्य को छिन्न-भिन्न होने से बचाना चाहते थे।” इसके विपरित गुरुमुख निहाल सिंह ने लिखा है कि, “यह संभव है कि ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने तथा कांग्रेस का प्रयोग एक अभयदीप की तरह करने के विचार ह्यूम तथा बेडरबर्न के हृदयों में हों, किन्तु इस बात पर विश्वास करना असम्भव है कि दादा भाई नौरोजी, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, व्योमेश चन्द्र बनर्जी, फिरोश शाह मेहता और रानाडे जैसे भारतीय नेता इनके हाथों में साधन मात्र थे या वे भी ब्रिटिश साम्राज्य को क्रान्ति के खतरे से बचाने का विचार रखते थे।”

अब यह स्पष्ट हो गया है कि ए०ओ० ह्यूम एक उदारवादी व्यक्ति थे तथा भारत में समाज सुधार

करना चाहते थे। भारतीयों की स्थिति, निर्धनता व कष्टों को देखकर उसके मन में भारतीयों के प्रति सहानुभूति थी।

ए०ओ० ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना चाहे किसी भी उद्देश्य से की हो, किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इसकी स्थापना के अत्यन्त दूरगामी राजनीतिक परिणाम हुए, व भविष्य में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में इस संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ई० में बम्बई में हुआ। प्रारम्भ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाज में व्याप्त कुरीतियों व सरकारी नीतियों से उत्पन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने वाली एक संस्था थी, किन्तु शनैःशनैः इसका स्वरूप परिवर्तित होता चला गया और शीघ्र ही यह एक राजनैतिक संस्था बन गयी।

भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का घटनाक्रम (1920—1947) न केवल युवा वर्ग को बल्कि स्वतन्त्रता एवं परतन्त्रता के अन्तर को समझाने में सहायक सिद्ध होगा, तथा भारत की एकता एवं अखण्डता के प्रति उन्हें सजग और उत्प्रेरित करता रहेगा।

उपलब्धियाँ एवं चुनौतियाँ: सन् 1947 में विभाजन के साथ नये भारत का उदय हुआ और अब हमारा देश 66 वर्षों की उम्र तय कर चुका है। किसी भी देश के इतिहास में यह कोई बड़ी अवधि नहीं होती, मगर इन 66 वर्षों के दौरान ऐसी कई घटनाएँ हुईं, जिनके माध्यम से यह परिलक्षित हुआ कि देश किस दिशा में अग्रसर होगा। विभाजनोपरान्त मिली आजादी से देश में खुशी के साथ निराशा का भाव भी था, लेकिन निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर भारत आज

* प्राचार्य, किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय रकसा, रतसर—बलिया, उ०प्र०

दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। इस स्थिति तक आने के दौरान देश ने गाँधी जी की हत्या, पाकिस्तान के साथ कई युद्ध, चीन के साथ युद्ध, इमरजेंसी, इन्दिरा और राजीव जैसे लोकप्रिय नेताओं की हत्या, प्रक्षेपास्त्र परीक्षण, परमाणु परीक्षण सहित अनेक आशा और निराशाजनक घटनाएं देखीं। अन्तरिक्ष में भारत की ऊँची छलांग, हरित क्रांति सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भारतीय बालाओं का परचम और 1983 में क्रिकेट जैसे पश्चिमी खेल में भारत को विश्व विजेता बनते देखने की प्रसन्नता भी हासिल की।

स्वतंत्रता के 66 वर्षों में राष्ट्र के इतिहास में केवल अल्पविराम मात्र है। सोवियत संघ के विघटनोपरान्त भारत में भी समाजवाद का तिलिस्म टूटा और अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियन्त्रण व बेड़ियाँ एक-एक कर टूटनी शुरू हुईं। सन् 1991 ई0 में हमारे पास दो सप्ताह के आयात के लिए विदेशी मुद्रा नहीं थी और अपनी अन्तर्राष्ट्रीय देनदारियों को पूरा करने के लिए हमें अपना स्वर्ण भण्डार गिरवी रखना पड़ा था। आज स्थिति भिन्न है। देश का बड़ा हिस्सा इस आर्थिक प्रगति का भागीदार बना है। भारत का नाम विश्व क्षितिज पर सम्मान के साथ लिया जाता है।

सम्प्रति जनता के बीच संचार के माध्यम का अभाव नहीं है। राशन की दुकानों के बाहर कतारें नहीं हैं, टेलीफोन और रसोई गैस के लिए लम्बी प्रतीक्षा सूची से लोगों को निजात मिल चुकी है। आजादी के इन 66 वर्षों में साक्षरता, स्वास्थ्य, स्त्री-पुरुष अनुपात और शहरी विकास जैसे मानव विकास के मापदण्डों में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आजादी के बाद भारत में शहरीकरण की गति में भी वृद्धि हुई है। 1951 ई0 में 82.7 प्रतिशत आबादी गाँवों में और 17.3 प्रतिशत शहरों में रहती थी। 2001 में यह अनुपात क्रमशः 72.7 और 27.8 प्रतिशत था। 1951 की साक्षरता दर 18.33 प्रतिशत थी। 2001 में यह 69.84 प्रतिशत हो गयी। 1951 में जहाँ महिला साक्षरता दर मात्र 8.86 प्रतिशत थी वह 2001 में बढ़कर 53.67 प्रतिशत हुई है। बावजूद इसके यह भी

सत्य है कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक नहीं पहुँचा। नगरों की अपेक्षा ग्रामीण इलाकों में आधारभूत संरचनाओं का अभाव है। यह भेद हमें हर जगह देखने को मिल सकता है। मुम्बई की मायानगरी से कुछ मील दूर किसी गाँव का किसान आत्महत्या करने को मजबूर है तो वहीं समाज का एक वर्ग पैसा पानी की तरह बहाता है। इस अन्तर का उल्लिखित करने के पीछे आशय यही है कि कहीं न कहीं हमारी व्यवस्था समाज में फैली इस खाई को पाटने में नाकाम हुई है। आजादी के 66 वर्षों में हमारे पास गर्व करने के बहुत सारे कारण हैं। भारत जैसा ऊर्जावान युवा लोकतन्त्र दुनिया में शायद ही कहीं हो। यहाँ एक सजग, स्वतन्त्र प्रेस है, जिसका बड़ा भाग निष्पक्ष रहकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। हमारी न्यायपालिका स्वतन्त्र व निष्पक्ष रहकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है। अपनी बहुलतावादी संस्कृति के कारण ही भारत की सभ्यता जीवित ही नहीं बल्कि नित नूतन बनी हुई है। इसके पृष्ठभूमि में अब भी कुछ खतरे अधिकांश लोगों को चिंतित करतें हैं। सम्प्रति समाज के एक बड़े वर्ग को अच्छी शिक्षा उपलब्ध है। इसी शिक्षा की गुणवत्ता के कारण भारतीय प्रतिभा की धमक ज्ञान-विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में पूरी दुनिया में बनी हुई है, परन्तु यह भी कटु सत्य है कि समाज का एक बड़ा वर्ग बेहतर शिक्षा से वंचित है। कुछ बच्चे गरीबी के कारण प्राथमिक शिक्षा के बाद अध्ययन छोड़ देते हैं। सरकारी विद्यालयों में शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं। ग्रामीण अंचलों के विद्यालयों पेड़ों की छांव में संचालित होते हैं। हमारे समाज में एक वर्ग ऐसा भी है जिसके लोग मध्यकालीन शिक्षा पद्धति को गले लगाये बैठे हैं। ऐसे लोगों को सेक्यूलरिस्टों का संरक्षण प्राप्त है। समाज के उस वर्ग विशेष में जब भी सुधार की कोई मांग उठती है तो उसके खिलाफ कट्टरपंथियों के साथ सेक्यूलरिस्ट भी फौरन लामबन्द हो जाते हैं। आधुनिक जगत की यह परिस्थितियाँ बदलनी चाहिए। जिस प्रवृत्ति ने 1947 में भारत के रक्तरंजित विभाजन को साकार किया उसे आज भी देश में प्रोत्साहित किया

जा रहा है। न केवल भारत, बल्कि वैश्विक स्तर पर जेहादी मानसिकता काफी सशक्त हुई है। यह बहुलतावादी सभ्यता के लिए गंभीर संकट है।

भारत में ईसाई, यहूदी जोरास्ट्रियन, बर्मी और तिब्बती भी अल्पसंख्यक हैं, जो बहुसंख्यकों के साथ शांति से रहते हैं। ये इस बात की पुष्टि करते हैं कि अपनी पहचान खोए बिना अल्पसंख्यक इस देश में बहुसंख्यकों के साथ आराम से रह सकते हैं। वोट बैंक की राजनीति के लिए अलगाववाद का पोषण क्या सभ्य समाज के हित में है ? दूसरा खतरा लंबी न्यायिक प्रक्रिया है। दशकों तक मामले अदालत में लटके रहते हैं। न्यायिक मामलों में लोगों की जमीनें तक बिक जाती हैं, उसके बाद भी गवाह के मुकर जाने या भ्रष्ट तंत्र के कारण लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। यह लोकतन्त्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। हमारी चुनाव-प्रक्रिया में गंभीर दोष हैं। 20-25 प्रतिशत मतों के आधार पर प्रत्याशी विजयी हो जाते हैं, इसलिए अधिकांश प्रत्याशी जाति विशेष या मजहब की राजनीति करते हैं और बहुत से घोषित अपराधी होने के बाद भी चुनाव जीत जाते हैं। इन विकृतियों के बावजूद इन 66 वर्षों में गर्व करने के लिए हमारे पास मात्र यथेष्ट कारण ही हैं।

विगत डेढ़ वर्षों में उत्तर प्रदेश में हुए दर्जनो दंगे विशेषतया मुजफ्फरनगर के दंगे ने वर्तमान सपा सरकार के मोहभंग में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। इस नई सरकार से काफी अपेक्षाएं थी। प्रदेश की जनता ने एक युवा को देश के सबसे बड़े राज्य की बागडोर सौंपी थी। उन्हें अपेक्षा थी कि युवा मुख्यमंत्री की सोच नई होगी, दृष्टि नई होगी और वह राष्ट्रहित व प्रदेश के विकास को प्राथमिकता देंगे। उत्तर प्रदेश का हर सजग नागरिक जातीय और सांप्रदायिक राजनीति से निजात पाना चाहता था। केवल एक साल में इस सरकार की वही स्थिति हो गयी है, जो 400 से भी अधिक लोकसभा सीट जीतकर प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गाँधी जी की बोफोर्स घोटाले और वी0पी0 सिंह जी के त्यागपत्र के बाद हो गयी थी। उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ नेताओं ने वहीं

आचरण किया जो 'सिंडीकेट' ने वरिष्ठतम नेता मोरारजी देसाई के स्थान पर इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाकर किया था। उन्हें लगा था कि वर्चस्व तथा सत्ता की बागडोर पीछे से वे ही संभालते रहेंगे। अंतर केवल यह है कि इंदिरा गांधी की राजनीतिक समझ एवं कार्यशैली की क्षमता के आगे ये सभी दिग्गज धराशायी हो गये। मुजफ्फरनगर दंगे से यह सिद्ध हो गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार असफलता की द्योत्तक सिद्ध हो रही है। उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु ने दो दलों की राजनीति व्यवस्था के समर्थकों को विचारार्थ बहुत कुछ दिया है। लोग आक्रोश में सरकार परिवर्तित कर देते हैं और उस दल को ही वापस ले आते हैं, जिसे पांच साल पूर्व सत्ता से बेदखल किया था। उसके पास अन्य विकल्प है ही नहीं। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी युवाओं से सम्बन्धित है। उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह की सरकार ने बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए अध्यादेश लाकर सही कदम उठाया था। उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव ने भी अपनी दूरगामी राजनीतिक दृष्टि से इसके प्रभाव का आंकलन कर लिया और चुनाव प्रचार में इस अध्यादेश को वापस लेने पर जोर दिया। वह सत्ता में आए, अध्यादेश निरस्त करने का वायदा किया, किन्तु तद् सम्बन्धित क्रियान्वयन प्रभावी नहीं हो सका। बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जो राजनाथ सिंह सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के कारण बीस प्रतिशत से नीचे चले गये थे, पुनः सुधर गए।

किसी भी प्रांत या राष्ट्र की प्रगति में नई पीढ़ी ही वह पृष्ठभूमि तैयार करती है जिस पर विकास तथा प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। उत्तर प्रदेश पुनः उन राजनेताओं का खिलौना बन गया है जो जाति, उपजाति पंथ/धर्म के नाम पर समाज को खंडित करने में लगे हैं, वर्तमान सपा सरकार तथा उनके पहले की मायावती सरकार को विधानसभा में पूर्ण बहुमत मिला, जिसका उपयोग विचारों, चिंतन तथा विकास की योजनाओं को उच्चस्तरीय करने के लिए किया जा सकता था। दोनों ही सरकारें अल्प स्वार्थों

की पूर्ति में समय और ऊर्जा नष्ट करती रही। ठीक इसी तरह केन्द्र सरकार ने भी जनता को प्रलोभन के माध्यम से आज एक हास्यास्पद स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान की मनमानी और चीन की धौंस हर देशवासी को हतोत्साहित करती है। प्रधानमंत्री हर असफलता के लिए अपने मुख्य विरोधी दल को या अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को उत्तरदायी इंगित करते हैं। उत्तर प्रदेश कभी कांग्रेस का गढ़ था। कांग्रेस ने वे सभी मूल्य त्याग दिये जो गांधी, पटेल राजेन्द्र प्रसाद, शास्त्री जैसे कांग्रेसियों ने दिये थे।

निष्कर्ष: भारत को प्रगति को ओर लाने हेतु सामाजिक समरसता तथा सद्भाव बढ़ाने हेतु निरंतर प्रयास किए जाने के साथ-साथ आधुनिक राजनीति तथा सत्तारूढ़ सरकार को वर्तमान व आगामी चुनौतियों पर गहन चिंतन की आवश्यकता है। यदि समस्त भारतवासी मजहब और जातीयता से उपर उठकर दृढ़ संकल्पित हो जाय तो हमारी प्रगति की राह में दुनिया की कोई भी अवरोध खड़ा नहीं कर सकती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:

1. दीक्षित, जे0एन0—भारतीय विदेश नीति, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली।
2. यादव, आर0एस0—भारत की विदेश नीति एक विश्लेषण, 22 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
3. आजम, कौसर0जे0—पॉलिटिकल एस्पेक्टस ऑफ नेशनल इन्ट्रीगेशन, मेरठ मीनाक्षी प्रकाशन।
4. जोड, सी0ई0एम0—इन्ट्रोडक्शन मार्डन पॉलिटिकल थ्योरी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, मुम्बई
5. फेबियन, के0पी0 —द पॉलिटिक्स ऑफ वार, रिव्यु आर्टिकल फ्रंट लाईन, फरवरी, 2012
6. दत्त, बी0पी0 —इण्डियाज फॉरेन पॉलिसी, विकास भवन, नई दिल्ली

पत्र-पत्रिकाएं एवं पुरालेखीय दस्तावेज

1. इण्डिया टूडे
2. योजना
3. कुरुक्षेत्र
4. आउट लुक (अगस्त-सितम्बर-2013)
5. प्रतियोगिता दर्पण
6. द टाइम्स ऑफ इण्डिया
7. दैनिक जागरण
8. अमर उजाला
9. हिन्दुस्तान
10. आज